P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-I* ISSUE- VIII* November - 2016
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

सरकारी स्कूलों से दूर होते बच्चे : कारण व निवारण

दिनेश प्रताप सिंह
वरिष्ठ प्रवक्ता,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
आई0 एम0 आर0 दुहाई,
गाजियाबाद

सारांश

15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ । 15 अगस्त 1995 को पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे सामान्यतः मध्यान्ह भोजन योजना (Mid Day Meal Scheme) कहते है। इस योजना से काफी लाभ हुआ है परन्तु यदि यह योजना पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ चलाई गई होती तो इससे कहीं बहुत अधिक लाभ होता। आने वाले बच्चों की संख्या तेजी से घट रही है। सभी जातियों के बच्चे एक साथ एक कतार में बैठकर भोजन करेंगे तो जाति की दीवारें भी टूटेंगी। यहां बहस का मुद्दा यह हो सकता है कि क्या वास्तव में निजी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है

मुख्य शब्द : स्कूल : सरकार द्वारा पोषित विद्यालय,एम डी एमः मध्यान्ह भोजन योजना (Mid Day Meal Scheme)

प्रस्तावना

15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ । प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में इसकी 45 वीं धारा में स्पष्ट निर्देश था– राज्य इस संविधान के लागू होने के समय दस वर्ष के अन्दर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 1957 में केन्द्र में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया।

प्रत्येक समाज स्वंय की आवश्यकताओं एंव हितों के सन्दर्भ में कुछ विशेष मानदण्ड़ विकसित करता हैं इन मानदण्डो को जब तक इस समाज के सदस्य पालन करते रहते है तब तक सामाजिक व्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रहती है। परन्तु जब सदस्यों द्वारा इन मानदण्डों की अवहेलना की जाती है तब सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है।

उददेश्य

1. प्राथमिक शिक्षा की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना।
2. एम डी एम के लाभ का आकलन करना।
3. शिक्षा से जुड़े लोगो को उनके दायित्वों से अवगत कराना।

15 अगस्त 1995 को पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे सामान्यतः मध्यान्ह भोजन योजना (Mid Day Meal Scheme) कहते है। प्रारम्भ में यह योजना देश के 2408 ब्लॉको में चलाई गई थी और इसके अन्तगर्त केवल सरकारी प्राथमिक स्कूलों को लिया गया था। 1997–98 में इसे देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया। वर्ष 2007 में इस योजना में उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी सम्मिलित किया गया। प्रारम्भ में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 3479 ब्लॉको को लिया गया और उसके बाद 1 अप्रैल 2008 से सभी ब्लॉकों को सम्मिलित किया गया। सरकारी आंकड़े बताते है कि सन् 2014–15 में यह योजना 11.58 लाख प्राथमिक एव उच्च स्कूलों में चल रही थी और इससे 10.45 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे है।

इस योजना से काफी लाभ हुआ है परन्तु यदि यह योजना पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ चलाई गई होती तो इससे कहीं बहुत अधिक लाभ होता। आये दिन अखबारों में वह सूचना छपती है और टेलीविजन पर प्रसारित होती है कि अमुक क्षेत्र में इस योजना में इतने रूपयों को घोटाला हुआ है इतना खाद्य पदार्थ स्कूलों को भेजने के स्थान पर दूसरे हाथों को बेच दिया गया है और इतने स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के लिए पैसा पहुँच रहा है परन्तु बच्चे को मध्यान्ह भोजन नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार की भी सूचनायें प्राप्त होती है कि भोजन पकायें जाने वाले स्थानों में कितनी गन्दगी रहती है पके हुए भोजन में कीड़े मकोडे पाए जाते है और जहरीली छिपकली तक खाने के साथ

पक जाती है और बच्चे भोजन खाकर बीमार हो जाते है बच्चों को उनका हक न मिलना व उनके जीवन से खिलवाड़ ये दोनों अपराध है।

जम्मू की कबीर कालोनी में एक स्कूल है गवर्नमेन्ट गर्ल्स मिडिल स्कूल। इसकी प्राइमरी शाखा को शिक्षक जोगेन्द्र कुमार संभालते है वह इन दिनों बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें स्कूलों में दिए जाने वाले मिड–डे मिल के योजना के लिए पैसे नहीं मिल रहे है उन्हें अगस्त 2014 से जनवरी 2015 तक केन्द्र की तरफ से मिलने वाली राशि प्राप्त नहीं हुई बाद मे किस्तों में कुछ पैसे आए। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र 75 % व राज्य 25 % राशि देते है जोगेन्द्र कुमार बच्चों को भोजन देने के लिए 20 हजार रूपए अपनी जेब से खर्च कर चुके है, परन्तु कुछ दूसरे स्कूलों ने तो भोजन देना बन्द कर दिया है। जिससे स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या तेजी से घट रही है।

दूसरी तरफ नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट बताती है। कि मिड–डे मील के तहत केन्द्र की तरफ से दिए गए अनाज में भारी मात्रा में गबन या चोरी हुई है रिपोर्ट के अनुसार 2011–12 से 2013–14 के बीच दो लाख 22 हजार 959 मीट्रिक टन अनाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक प्राइमरी स्कूल को 2011 में ही सरकार ने बंद कर दिया था, मगर उसके नाम मिड–डे मील का अनाज जाता रहा इसी तरह गाजीपुर जिले के स्कूलों के लिए भेजे गए 1174 टन अनाज वहां पहुँचे ही नहीं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि मिड–डे मील योजना बच्चों को स्कूलों में रोकने में नाकाम रही है तीन साल में करीब 90 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों से अपना नाम कटा लिया, यानी लगभग 55 प्रतिशत की कमी।

जब यह योजना शुरू हुई थी तब कहा गया था कि बच्चों को स्कूलों में भोजन दिया जाएगा, तो नामांकन बढ़ेगा, ड्राप आउट रेट में कमी आएगी, पौष्टिक भोजन मिलेगा, तो कुपोषण भी कम होगा। सभी जातियों के बच्चे एक साथ एक कतार में बैठकर भोजन करेंगे तो जाति की दीवारें भी टूटेंगी। लेकिन कैग की यह रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कह रही है। यह भी पता चला है कि जहां अभिभावक बच्चों को फीस उठाने का माद्दा रखते है। वहां बच्चों को सरकारी स्कूलों से हटाकर निजी स्कूलों में भर्ती करवाया जा रहा है। यहां बहस का मुद्दा यह हो सकता है कि क्या वास्तव में निजी स्कूलों में पढाई अच्छी होती है या निजी स्कूलों में पढ़ानें का चलन गांवों में भी बढ़ता जा रहा है।

बात छह महीने पुरानी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा तभी सुधर सकती है जब सभी मन्त्रियों और अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। अदालत का कहना था कि जो सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहे है उन्हें अपने बच्चों को सार्वजनिक स्कूलों में ही भेजना चाहिए। अदालत में सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने और छह महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा था। उस समय अदालत के इस रूख की काफी तारीफ हुई थी। टेलीविजन पर चर्चायें हुई अखबारों में संपादकीय लिखे गए बीती 18 फरवरी को छह महीने पूरे हो गए। लेकिन सरकार के कदम उठाने या कोई रिपोर्ट देने की खबर तक नहीं आई। यह जरूर सुनने को मिला कि प्रदेश सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे है।

हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से पहले भी कोठारी कमीशन ने ''पड़ोस स्कूल'' की अवधारणा दी थी और कहा था कि प्रत्येक इलाके का अपना एक स्कूल हो। जिसमें उस इलाके में रहने वाले सभी लोगो के लिए जरूरी हो कि वे अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेगे। जो उनके इलाके के लिए आबंटित है। प्रदेश में गरीब अमीर, जाति धर्म जैसा किसी भी प्रकार का भेद नहीं रखा जाएगा। वर्ष 1968 में बनी देश की पहली शिक्षा समिति ने कोठारी के इस विचार का अनुमोदन किया। 1986 में बनी दूसरी शिक्षा समिति तथा 1992 की संशोधित समिति ने भी इनको अनुमोदित किया इन तमाम कोशिशों के बाद भी किसी सरकार ने इसका पालन नहीं किया। एक समान शिक्षा नीति पर खास वर्गो के लिए केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल व नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई जिसके बाद बडी संख्या में भारी फीस प्राइवेट स्कूल खुले, जिन्होंने इन सबको काफी पीछे छोड़ दिया।

लाखों की संख्या में बने सरकारी स्कूल, जिनमें देश की बहुसंख्यक जनता अपने बच्चों को भेजती है, इन स्कूलों से बिल्कुल भिन्न है सरकारी स्कूलों के बारे में यह आम धारणा है कि पढ़ाई नहीं होती व सुविधाओं का पूर्ण अभाव रहता है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तीन लाख से अधिक पद खाली पढ़े है औसत, प्रत्येक स्कूल में केवल तीन अध्यापक है जो है उनमें शायद ही कुछ पढ़ाते है जबकि उन्हें अच्छा खासा वेतन मिल जाता है उच्च न्यायालय में इस सूरत को बदलने का मौका दिया था लेकिन इसे अदालती दांव पेंच में उलझाया जा रहा है।

निष्कर्ष

सच जो भी रहा हो सरकार मिड–डे मील जैसी योजनाओं के बावजूद निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को आकर्षित करने में नाकाम होती जा रही है। ऐसे स्कूलों में लोग अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, जिनके पास कोई और विकल्प है और जो भेज भी रहे है मिड डे मील जैसी योजना उनके बच्चों तक भी नहीं पहुंच रही और निरन्तर बच्चों की संख्या सरकारी विद्यालयों से घटती जा रही है जिसके बारे में शिक्षाविदों, सरकारी बुद्धिजीवियों के साथ साथ समाज के सभी लोगों को इस समस्या पर गहराई से विचार करना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. हिन्दुस्तान समाचार पत्र– दिल्ली संस्करण 15 मार्च 2016।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय रिपोर्ट, शिक्षा विभाग नई दिल्ली।